

Rule 123 : Constitution of the Standing Committee and Screening Committees

- (1) The Council may constitute a Standing Committee on Anti-profiteering which shall consist of such officers of the State Government and Central Government as may be nominated by it.
 - (2) A State level Screening Committee shall be constituted in each State by the State Governments which shall consist of-
 - (a) one officer of the State Government, to be nominated by the Commissioner, and
 - (b) one officer of the Central Government, to be nominated by the Chief Commissioner.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 123 : स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन

- (1) परिषद्, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।
 - (2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—
 - (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी; और
 - (ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी।
-